आलीशान क्रिकेट स्टेडियम का सत्यानाश करके 222 करोड़ डकारने का जुगाड़

फरीदाबाद (म.मो.) सन 1981-82 में मयूर क्रिकेट स्टेडियम के नाम से बने इस शानदार स्टेडियम का नाम बदल कर पहले नाहर सिंह फिर राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम रखा गया। इसके निर्माण पर शहर की विभिन्न संस्थाओं एवं उद्योगपतियों के अलावा राज्य सरकार ने भी अच्छा-खासा खर्च किया था। नियमानुसार, बहुत ही करीने से, खेलने आने वाली दोनों टीमों के लिये अलग-अलग पेवेलियन बनाये गये थे। शानदार हरियाली घास से ग्राउंड की छवि देखते ही बनती थी।

करीब 11 अंतर्राष्ट्रीय तथा अनेकों रणजी ट्रॉफी मैचों का गवाह यह स्टेडियम तब उजड़ना शुरू हो गया जब हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के 'मालिक' रणवीर सिंह महिन्द्रा की क्रिकेट राजनीति का नजला इस पर गिरा। विदित है कि अकूत धन राशि कमाने वाला यह क्रिकेट कारोबार स्टेडियमों के रख-रखाव एवं निर्माण आदि पर अच्छा-खासा खर्च करता है। हरियाणा के इस एकमात्र स्टेडियम से मुंह फेर कर रणवीर ने अपने गृह ज़िले भिवानी के निकट लाहली गांव में एक नया स्टेडियम बना लिया। तमाम मैच वहीं होने लगे।

परिणामस्वरूप शहर के इस आलीशान स्टेडियम में लगी घास को पानी तक लगाने वाला कोई न रहा। जाहिर है कि देख-भाल के आभाव में स्टेडियम उजड़ने लगा। कभी इस स्टेडियम में सुबह-शाम क्रिकेट खेलने व देखने वालों की भीड़ लगी रहती थी, अब सुनसान रहने लगा था। सन 2014 में आई खट्टर सरकार पर स्टेडियम तथा बडखल झील के उद्धार का दबाव कुछ संगठनों द्वारा बनाया गया। दूसरी ओर गुजरात की व्यापार लॉबी पूरे देश में व्यापार के नाम पर लूट कमाई के अवसर ढूंढ रही थी। इसके चलते खट्टर ने 14 मई 2016 को इसके जीर्णोद्धार की घोषणा की।

करीब तीन साल बाद जनवरी 2019 में इस काम का ठेका रणजीत नामक एक गुजराती कम्पनी को 127 करोड़ में सौंप दिया गया था। काम पूरा करने की कई डेड लाइन निकल चुकी हैं। अब नई डेडलाइन 31 दिसम्बर 2023 रखी गई है। महंगाइ बढ़ने के नाम पर लागत खर्च बढ़ा कर 222 करोड़ कर दिया गया है। अभी यह गारंटी भी नहीं है कि इसी रकम व इसी अवधि में काम पूरा हो जायेगा।

सत्यनाश : बने-बनाये स्टेडियम का 'जीर्णोद्धार'

स्टेडियम की उपलब्धियां

सरकार तलवार

सैंकड़ों करोड़ की बर्बादी के बाद बनने वाला सम्भावित स्टेडियम से शहर को क्या उपलब्धियां होंगी समय ही बतायेगा। लेकिन उजाड़े गये स्टेडियम ने शहर को दो टेस्ट प्लेयर, 25 रणजी प्लेयरों के अलावा अनेकों क्रिकेटर दिये हैं। इस स्टेडियम की शुरूआत बतौर क्रिकेट कोचिंग सेंटर के रूप में तत्कालीन कोच सरकार तलवार ने 1981-82 में शुरू की थी। उनके वक्त में यहां बाकायदा सरकारी क्रिकेट नर्सरी चलती थी। इसमें बड़ी संख्या में छोटे-बड़े बच्चे क्रिकेट सीखने व खेलने आते थे। आज उस नर्सरी का कोई अता-पता नहीं है।

दरअसल इस शानदार एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बने-बनाये स्टेडियम के तथाकथित जीर्णोद्धार का एकमात्र लक्ष्य सैंकड़ों करोड़ की लूट कमाई के अलावा कुछ भी नहीं है। विदित है कि शहर में बच्चों के खेलने के लिये साधारण मैदान तक नहीं हैं।

खिलाड़ी बच्चे 100-100 रुपये एकत्र करके डेढ-दो हजार रुपये देकर घंटे दो घंटे के लिये मैदान किराये पर लेने के लिये मजबूर होते हैं। दूसरी ओर खट्टर महाशय एक बने-बनाये आलीशान स्टेडियम के 'जीर्णोद्धार' पर सैंकड़ों करोड़ फूंक रहे हैं।

नायब तहसीलदार परीक्षा देने गए पंचकुला जिले की उप तहसीलों में काम ठप्प

फ़रीदाबाद (म.मो.) विभागीय परीक्षा देने के लिये तमाम नायब तहसीलदार बीते सोमवार यानी 13 दिसम्बर से शुक्रवार तक पंचकूला में रहेंगे। इस दरमियान उप तहसीलों का काम-काज सुचारू रखने की कोई व्यवस्था प्रशासन की ओर से नहीं की गई। विदित है कि जायदादों की खरीद-फरोख्त के पंजीकरण का अति महत्वपूर्ण काम इन उप तहसीलों में होता है, इस काम में क्रेताओं विक्रेताओं का करोड़ों रुपया दांव पर लगा होता है।

इस काम के लिये सम्बन्धित लोग न केवल देश के विभिन्न भागों बल्कि विदेशों से भी आते हैं। सब लोगों ने अपने आने-जाने की टिकट व अन्य कार्यक्रम तय किये होते हैं। लेकिन तहसील में काम और वह भी पूरे एक हफ्ते तक न होने के चलते इन लोगों का भारी नुक्शान होना तय है। वयोवृद्ध तथा विकलांग तहसील के धक्के खाकर सरकार को कोसते व गालियां देते हुए घरों को लौट रहे हैं। जिन लोगों ने विक्रताओं को करोड़ों की पेमेंट कर दी है और रजिस्ट्री हो नहीं रही उनका चिन्ताग्रस्त होना स्वाभाविक है।

'हूडा' द्वारा विशेष प्रशासनिक फीस लेकर 90 दिन के भीतर जायदाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र 'हूडा' में जमा कराना होता है। जब रजिस्ट्री समय पर नहीं होगी तो 'हूडा' में प्रमाणपत्र कैसे जमा हो पायेगा? ऐसे में 'हूडा' विभाग फिर से नई परमिशन जारी करने के नाम पर दोबारा फीस वसूलता है।

इन्हीं सब मुद्दों को लेकर फीवा (फरीदाबाद एस्टेट एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन) के पदाधिकारी डीआरओ (डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफीसर) के दफ्तर में जा पहुंचे। उन्होंने समस्या को समझते हुए तहसीलदार बल्लबगढ़, फरीदाबाद व बडखल को यह काम सौंपे जाने के बाबत उपायुक्त की ओर फाइल बढाते हुए लोगों को शांत किया।

संदर्भवश फरीदाबाद तहसील का काम-काज भी तहसीलदार बडखल ही देख रही है। इस प्रकार केवल दो तहसीलदार ही इन तमाम उप तहसीलों का काम निपटायेंगी। लेकिन मजे की बात तो यह है कि डीआरओ द्वारा चलाई गई फाइल से निकल कर कोई आदेश इन तहसीलदारों के पास शुक्रवार तक भी नहीं पहुंच पाया। यही है मनोहर लाल खट्टर का डिजिटल एवं ऑनलान सिस्टम।

उप तहसीलों की खस्ता हालत

सैकड़ों हजारों लोग रोजाना इन तहसीलों में आकर सरकार को करोड़ों रुपया बतौर टैक्स देकर जाते हैं। इसके बावजूद इन तहसीलों की हालत कबाड़खानों सी बनी हुई है। न कोई बैठने का इंतजाम है और न ही टॉयलेट की व्यवस्था। पानी की टूटियां टूटी पड़ी है, कोई पूछने वाला नही है।

एफएआर बढ़ाने के बाद अब आवासीय क्षेत्रों में व्यापारिक व लघु उद्योग भी

चंडीगढ़ मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

जनता को लूटने का कोई भी सम्भव प्रयास खट्टर महाशय छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी तक आवासीय क्षेत्रों में कोई भी व्यापारिक गतिविधि नहीं की जा सकती थी। कोई छोटी सी भी दुकान अपने घर में खोल लेता था तो सरकारी चीचड़ महकमे उसको चिपट जाते हैं लेकिन अब सरकार न केवल यहां दुकाने व शो-रूम खुलवायेगी बल्कि उद्योग धंधे भी करवायेगी। इसके बदले खट्टर सरकार कनवर्जन शुल्क के रूप में सैंकड़ों करोड़ की वसूली करने की फिराक में है। जाहिर है कि सरकार की इस लूट नीति से आवासीय क्षेत्रों में अत्यधिक भीड़ एवं लोगों के आवागमन से निवासियों का शांतिमय जीवन दूभर हो जायेगा। नागरिकों के इसी शांतिमय जीवन को बनाये रखने के लिये योजनाबद्ध तरीके से नवनिर्मित शहरों को आवासीय, व्यवसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में बांट कर बसाया गया था। लेकिन अब खट्टर सरकार तमाम नियम कायदों को तोड़-मरोड़ कर अधिक से अधिक धन लूटने के चक्कर में चढ़ी हुई है।

लूट के इसी चक्कर में खट्टर ने नये सेक्टरों तथा पूराने शहरों में एफएआर (फ्लोर एरिया रेशो) बढ़ा कर दोगुणा से भी अधिक कर दिया है। पहले जिन सेक्टरों में ढाई मंजिला मकान बनाने की इजाजत थी उसे अब पांच तक कर दिया गया है। सेक्टरों के अलावा पुराने शहर की सड़कें, सीवर तथा जलापूर्ति की व्यवस्था उसी के हिसाब में तैयार की गई थी। सर्वविदित है कि उक्त तमाम व्यवस्थायें आज पूरी तरह से चरमरा चुकी हैं जिन्हें सुचारू बनाये रखना सरकार के काबू से बाहर हो चुका है। इसके बावजूद सरकार ने, लालचवश एफएआर को दोगुणा तो कर ही दिया है और अब इन्हीं क्षेत्रों में व्यवसायिक तथा औद्योगिक कारोबार भी चलवाने जा रही है। समझना कठिन नहीं है कि इससे आम नागरिकों का रहना कितना कठिन हो जायेगा। अभी तक जो ओयो होटल अवैध रूप से गली-मुहल्लों में चले आ रहे हैं वे सब वैध हो जायेंगे।

दोषी अधिकारियों को सजा नहीं, इसलिए सड़कों पर मौत का सिलसिला जारी

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 9 दिसम्बर को सेक्टर 31 की एक सड़क पर गड्ढे और स्ट्रीट लाइट गुल होने के चलते अंकुर अग्रवाल अपनी स्कूटी से पत्नी नमिता और ढाई साल की बच्ची के साथ घर जा रहे था तो गड्ढे व अंधेरे की वजह से संतुलन बिगड़ने से तीनों गिर पड़े। पत्नी व ढाई साल की बच्ची को तुरंत एक व्यापारिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद बच्ची की मौत हो गई और पत्नी अभी भी गंभीर हालत में है। यह घटना न तो पहली है और न ही आखिरी। यह सिलसिला, शहर में लगातार चलता आ रहा है क्योंकि घायल होने वाले व मरने वाले इसके लिये शासन-प्रशासन को दोषी न मानकर भगवान की मर्जी मानकर संतोष प्राप्त कर लेते हैं। पिछले कुछ दिनों में हुई ऐसी चंद घटनायें: एयरफोर्स रोड पर बच्चा नाले में डूब कर मरा, दूसरा, एक युवक पल्ला थाने के निकट सड़क किनारे गड्ढे में डूब कर मरा, तीसरा, सेक्टर 21 की पत्थर मार्किट के निकट सड़क के गड्ढे में गिरकर मरा, चौथा, बैंककर्मी थाना 55 क्षेत्र में मैन होल में गिर कर मरा। इसके अलावा बाइपास रोड के निर्माणकर्ताओं की लापरवाही के चलते थाना सराय के क्षेत्र में दो मोटरसाइकिल सवार सड़क पर खुदी खाई में गिर कर मरे थे। इन मरने वालों के अतिरिक्त अनेकों को समय रहते बचा लिया गया उनकी कोई गिनती नहीं है।

विदित है कि वर्ष 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाटा मोड़ के निकट मनोज वधवा नामक एक स्कूटर सवार के बच्चे की मौत व पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई थी। वधवा जी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट तक केवल इसलिये गये कि दुर्घटना की जिम्मेवारी तय करके सम्बन्धित अधिकारियों को उचित सजा दी जाय। उस मामले में आज तक तारीख पर तारीख लग रही है और किसी को कोई सजा नहीं मिली है।

जनता की इन मौतों का सिलसिला तुरन्त रोका जा सकता है यदि सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक लापरवाही का मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जाय। परन्तु जिस देश में पूरा शासन व शासक वर्ग लूट-खसूट में जुटा हो तो कौन किसको पकड़े और जेल भेजे? विदित है कि उक्त कुछ मामलों में मुकदमें दर्ज करने की औपचारिकता तो जरूर, जन दबाव के चलते हुई है, लेकिन किसी भी दोषी को आज तक जेल नहीं भेजा गया औ न ही उनसे वसूली करके पीड़ितों को कोई मुआवजे दिये गये हैं।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।